



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129061

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20080/2026

विजय मौर्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक के अधिवक्ता: सुरेंद्र मोहन मिश्र

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
- आवेदक की ओर से यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 164/2026, बी.एन.एस. की धारा 191(1), 191(2), 115(2), 127(2), 333, 324(3), 352, 61(2), 121(2), 131, 125, 285, 195(1), 190, 191(3), 324(4), 326(एफ), 324(5) और 109(1); आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7; और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पुलिस थाना-फेज़-2, ज़िला-गौतम बुद्ध नगर में, जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गयी है।
- शुरुआत में ही, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं है। यह एफ.आई.आर. एक भीड़ के खिलाफ दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले के अलावा, आवेदक का एक और मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में पूरक शपथपत्र के पैरा 2 में ठीक से बताया गया है; उस मामले में वह जमानत पर है और जमानत आदेश की प्रति पूरक शपथपत्र के साथ अनुलग्नक एस.ए.-1 के तौर पर संलग्न है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक 15.04.2026 से जेल में है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया है।

5. आवेदक के अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. की दलीलों पर विचार करने, एफ.आई.आर. और अन्य संबंधित दस्तावेजों को देखने, तथा अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी यह सुविचारित राय है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक-**विजय मौर्य**, जो उक्त आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रत्येक पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से रोक सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन देगा कि वह सबूत के लिए तय तारीख पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(iv) आवेदक हर तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहेगा। बिना पर्याप्त कारण के उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बी.एन.एस.) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करता है और अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 (बी.एन.एस.एस. की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी किया जा सकता है और अगर आवेदक ऐसे उद्घोषणा में तय तारीख पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार, भा.दं.सं. की धारा 174-ए (बी.एन.एस. की धारा 209 से मिलता-जुलता) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) वाद शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313 (बी.एन.एस.एस. की धारा 351) के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने स्वयं मौजूद रहेगा। अगर विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की गैरहाजिरी जानबूझकर या बिना किसी सही वजह के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल मानना और उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई करना खुला होगा।

7. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

24 जून, 2026

टी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”